न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 18/2014

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. उत्तमसिंह पुत्र भगवतसिंह		1. विक्रमसिंह पुत्र नरपतसिंह
2. जनककुंवर पुत्री भगवतसिंह		2. भैरूसिंह पुत्र नरपतसिंह
3. नरेन्द्रसिंह पुत्र भगवतसिंह जातिगण राजपूत निवासी कैलाशनगर, शिवगंज		3. उषबकुंवर पुत्री वगतसिंह
		4. गंगासिंह पुत्र मेघसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण कैलाश नगर, तहसील शिवगंज
		5. सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री भगवतसिंह देवड़ा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री नगेन्द्र मेडतीया, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 4.5.2018

अपीलान्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज द्वारा राजस्व वाद संख्या 163/2011 बअनवान भगवतसिंह बनाम विक्रमसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 29.05.2014 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट के पिता भगवतसिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया था। दौराने वाद अपीलाण्ट के पिता की मृत्यु हो गई तथा अपीलाण्ट गांव में निवास करने एवं कानून की जानकारी नहीं होने के कारण अपने अधिवक्त को सूचना नहीं दे सके तथा निर्धारित समयावधि के पश्चात सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 22 नियम 3 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज करते हुए अपीलाण्ट का वाद उपशमन मानते हुए खारिज कर दिया, जबकि निर्धारित समयावधि में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने का यथोचित कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दर्शित किया गया था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कारणों पर किसी प्रकार का गौर किए बिना ही जैर अपील आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

के जरिये अपीलाण्ट का वाद खारिज किया गया, जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी की मृत्यु होने की दशा में वादी के का0मु0 को रेकर्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र यदि निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो वाद स्वतः उपशमित हो जाता है। इस कारण निर्धारित समयावधि में का0मु0 को रेकर्ड पर लेने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही उपशमन को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया जाना आज्ञापक है। हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निर्धारित समयावधि के पश्चात प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा एबटमेन्ट को निरस्त कराने का निवेदन नहीं करने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये वाद खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट्स के पिता भगवतसिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 30.05.2013 के अनुसार वादी के अधिवक्ता द्वारा वादी के फौत होने बाबत सूचना प्रस्तुत की गई। इसके पश्चात दिनांक 29.08.2013 को प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सी0पी0सी0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादी के का0मु0 को रेकर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया, जिसमें वादी का स्वर्गवास दिनांक 22.05.2013 को होना जाहिर किया। गणना करने पर उक्त प्रार्थना पत्र वादी फौत होने के 98 दिवस पश्चात प्रस्तत की गई है। विधिक स्थिति यह है कि सिविल प्रक्रिया संहिता में यह प्रावधान दर्शित किया गया है कि आदेश 22 नियम 3 के अनुसार (1) जहां दो या अधिक वादियों में से एक की मृत्यु हो जाती है और वाद लाने का अधिकार अकेले उत्तरजीवी वादी को या अकेले उत्तरजीवी वादियों को बेचा नही रहता है या एकमात्र वादी या एकमात्र उत्तरजीवी वादी की मृत्यु हो जाती है और वाद लाने का अधिकार बचा रहता है, वहॉ इस निमित्त आवेदन किए जाने पर न्यायालय मृत वादी के विधिक प्रतिनिधि को पक्षकार बनवाएगा और वाद में अग्रसर होगा। (2) जहां विधि द्वारा परिसीमित समय के भीतर कोई आवेदन उपनियम (1) के अधीन नहीं किया जाता है, वहॉ वाद का उपशमन वहॉ तक हो जाएगा, जहॉ तक मृत वादी का संबंध है और प्रतिवादी के आवेदन पर न्यायालय उन खर्चो को उनके पक्ष में अधिनिर्णीत कर सकेगा, जो उसने वाद की प्रतिरक्षा में उपगत किए हों और वे मृत वादी की सम्पदा से वसूल किऐ जाएंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 22 नियम 3 तहत विधि द्वारा परिसीमित समय के भीतर आवेदन प्रस्तुत किया जाना आज्ञापक है। इस सम्बन्ध परिसीमित समय की संगणना परिसीमा अधिनियम 1963 के खण्ड द्वितीय के भाग 1 के नियम 120 के तहत किया जाना

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

आज्ञापक है, जिसमें यह प्रावधित किया गया है कि किसी मृत वादी या अपीलार्थी के या मृत प्रतिवादी या प्रत्यर्थी के विधिक प्रतिनिधी को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन पक्षकार बनवाने के लिये परिसीमित समय 90 दिवस नियत है। यदि विहित परिसीमा के पश्चात प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो देरी को कण्डोन करने हेतु धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया जाना आज्ञापक है, जो हस्तगत प्रकरण में नहीं किया गया है तथा न ही वादी के विधिक प्रतिनिधीयों की ओर से सशपथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जहां तक अभिभाषक वादी का प्रश्न है, तो उनका पॉवर वादी के जीवित रहने की स्थिति तक ही था एवं वादी के फौत होने के साथ ही उनका प्रकरण में पॉवर भी शून्य प्रभावी हो चुका था। उनके द्वारा वादी के का0मु0 फौत होने की सूचना निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत की जा चुकी थी, इसके बावजूद भी का0मु0 का प्रार्थना पत्र निर्धारित समयावधि के पश्चात प्रस्तुत किया जाना, का0मु0 की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत नहीं किया जाना तथा न ही किसी प्रकार का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने के सम्बन्ध में न तो सक्षम धारा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना एवं न ही ऐसा कोई कारण दर्शित किया जाना, जो प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में सहायक सिद्ध हो। ये समस्त ऐसे कारण रहे है, जिनके कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज द्वारा राजस्व वाद संख्या 163/2011 बअनवान भगवतसिंह बनाम विक्रमसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 29.05.2014 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 4.5.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही